[redacted]

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

अधि. सं.–10 ए०/भू.अ.नि.(नियमा)-2/15 53/नि० दिनांक– 27-02-15

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप धारा 1 एवं 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित "झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015" प्रारूप को इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए सुझाव की मांग की जाती है। नियमावली प्रारूप jhr.nic.in/lrms पर उपलब्ध है।

2. प्रारूप नियमावली (संलग्न) पर उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

3. यदि कोई सुझाव हो तो उसे निदेशक (भू–अर्जन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रोजेक्ट भवन, झारखण्ड, राँची के कार्यालय अथवा e-mail – bhoomijharkhand@gmail.com पर प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 27/02/15

सरकार के सचिव